an>

title: Need to prepare a fresh list of BPL families to facilitate extension of social security benefits to all the eligible BPL families.

श्री राम टहल चौधरी (रांची) ः वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्धजन, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों, विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को पेंशन सुविधा मिले जिससे ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना-पत्र से लेकर इन आवेदन-पत्रों की मंजूरी दिलवाने हेतु इन वर्गों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध एवं वृद्धा, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल. कार्ड है उन्हें यह पेंशन की सुविधा मिल पाएगी अगर इन वर्गों के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इन वर्गों के लिए बी.पी.एल. कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है एवं इस सरकार के कल्याणकारी कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जो लोग बी.पी.एल. कार्ड के पात्र नहीं है उन लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड हैं और जिन लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड होना चाहिए उनके पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि पंचायत स्तर पर जल्द सर्वे कराकर बी.पी.एल. की नई सूची तैयार की जाये जिससे वृद्ध और वृद्धाओं के सभी लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गयी है, विकलांग, विधवा एवं गरीब लोगों की पहचान कर उन्हें पेंशन दिलवाई जाये, इसकी व्यवस्था की जाये एवं इस संबंध में नियमों को भी सरल बनाया जाये।